न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2020 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 21.01.2020
G.C.M.S. NO.:-2020/00020

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री भगवान लाल जाट पुत्र श्री हजारी लाल जाट निवासी वार्ड नं. 3, जाट मौहल्ला, गांव जाजरों का खेड़ा, फलासिया, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ राज.
2–श्रीमति नन्दू बाई जाट पत्नी श्री भगवान लाल जाट निवासी वार्ड नं. 3, जाट मौहल्ला, गांव जाजरों का खेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ राज.
3–श्री कमलेश जायसवाल पुत्र श्री देवकरन जायसवाल निवासी जायसवाल मौहल्ला, कांकरवा, जिला चित्तौड़गढ़ राज.
4–श्री रमेश चन्द्र टाक पुत्र श्री राम लाल टाक निवासी कलाल मौहल्ला, कांकरवा, जिला चित्तौड़गढ़
5–श्री मदनलाल जायसंवाल पुत्र श्री नन्दलाल जायसवाल निवासी सिन्देसर कलां, बामनिया कलां, जिला राजसमन्द, राज.
6–श्री नगीना लाल जायसवाल पुत्र श्री लाभचन्द जायसवाल निवासी रावत मौहल्ला, पुराने हॉस्पिटल के पास, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ राज.
7–श्री मुकेश कुमार जायसवाल पुत्र श्री नगीना लाल जायसवाल निवासी मकान नं. 161, आदर्श नगर, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ राज.
8–श्री संजय कुमार चन्डालिया पुत्र श्री सुरेश चन्द चन्डालिया गांव व पोस्ट भूपालसागर दूसरा पताः– 507, भूपालसागर, पंचायत समिति के सामने गली, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ राज.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1– श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

आदेश

दिनांक 29.12.2020

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 50,00,000/- रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने उपस्थित होकर मौखिक अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर अधिकार पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा। उसके पश्चात् उक्त अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। शेष विपक्षी संख्या 2 से 8 भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

अनुसूची-I

श्री भगवान लाल जाट पुत्र श्री हजारी लाल जाट की सम्पत्ति जो कि पट्टा नं. 250, आराजी नं. 375-.047, 444/162-0.25, 446/123-5.00, गांव जाजरों का खेड़ा, ग्राम पंचायत फलासिया, पंचायत समिति भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। (माप 7600 वर्ग फीट)

पूर्व	**:- शंकर गुवाड़ी का मकान**	**पश्चिम**	**:- नारायण खारोल का मकान**
उत्तर	**:- मुख्य सड़क**	**दक्षिण**	**:- मुख्य सड़क**

अनुसूची-II

श्री भगवान लाल जाट पुत्र श्री हजारी लाल जाट, श्री रमेश चन्द्र टाक पुत्र श्री राम लाल टाक, श्री कमलेश जायसवाल पुत्र श्री देवकरन जायसवाल, श्री मदन लाल जायसवाल पुत्र श्री नन्दलाल जायसवाल एवं श्री नगीना लाल जायसवाल पुत्र श्री लाभचन्द जायसवाल की सम्पत्ति जो कि नया खाता नं. 341 एवं पुराना खाता नं. 184, आराजी नं. 299, गांव जाजरों का खेड़ा, ग्राम पंचायत-फलासिया, पंचायत समिति भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर स्थित है। जिसमें

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ

भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप 10469 वर्ग मीटर है। (माप 1.05 हैक्टेयर)

पूर्व :-	रोड़	पश्चिम :-	कृषि भूमि
उत्तर :-	कृषि भूमि	दक्षिण :-	कृषि भूमि

उक्त सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 22.06.2019 तक राशि रूपये 51,47,517/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official